न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री कार्तिक शर्मा, आर.जे.एस

आपराधिक नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 156/2019

सी.आई.एस. नंबर 76/2019

श्री टायर्स, सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास सरवाड अजमेर जरिए प्रोपराईटर द्वारका प्रसाद बाहेती पुत्र कन्हैयालाल बाहेती निवासी आजाद चौक मालपुरा जिला अजमेर

——परिवादी

—: बनाम :—

प्रधान गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल उर्फ लाला निवासी गोरधनपुरा तहसील व थाना सरवाड जिला अजमेर

——अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री विष्णु कुमार व्यास अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

: : निर्णय : :

दिनांक : 28.04.2026

1. परिवादी की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 09.10.2018 को परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अभिकथन किया गया कि परिवादी श्री टायर्स के नाम से सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास सरवाड जिला अजमेर में टायर का व्यवसाय करता है जिसका प्रोपराईटर परिवादी है तथा अभियुक्त ने परिवादी से दिनांक 23.02.2016 को रूपये 95,650/—रूपये के टायर जरिये बिल नं. 2077 क्रय कर 52,000/—रू परिवादी को अदा कर शेष राशि 43,650/—रू उधार रखे उसके पश्चात दिनांक 04.03.2016 को अभियुक्त ने फिर से परिवादी से जरिये बिल नं. 2138 के 66,000/—रू के टायर व बिल नं. 2139 के 65,400/—रू के टायर क्रय कर उक्त राशि उधार रखी। उसके बाद अभियुक्त ने दिनांक 22.05.2016 को रूपये 39,500/— रूपये के टायर जरिये बिल नं. 2933 उधार क्रय किये तत्पश्चात अभियुक्त ने फिर से दिनांक 08.05.

2017 को रूपये 67,000/—रूपये के टायर जरिये बिल नं. 5154 व दिनांक 08.10.17 को जरिये बिल नं. 351 रूपये 62,000/— रूपये के टायर परिवादी से उधार क्रय किये गये। इस प्रकार अभियुक्त ने परिवादी से कुल राशि 43,650+66,000+65,400+39,500+67,000+62,000 = 3,43,550/—रू उक्त माल/टायर्स के उधार रखे तत्पश्चात अभियुक्त ने उक्त बकाया राशि 3,43,550/—रू में से 1,17,500/—रू परिवादी को तीन बार में अदा किये तथा शेष राशि 2,26,000/—रूपये की अदायगी हेतु परिवादी को 2,26,000/—रूपये का पोस्ट डेटेड चैक सं. 000029 दिनांकित 03.08.2018 का बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सरवाड जिला अजमेर का दिया एवं परिवादी को विश्वास दिलाया कि आपकी उक्त शेष बकाया राशि 26,000/—रूपये के पेटे दिये गए उक्त चौक का भुगतान हो जाएगा।

परिवादी ने अभियुक्त के कथन पर विश्वास कर अभियुक्त द्वारा दिये गए 2,26,000/—रूपये का चैक सं. 000029 दिनांकित 03.08.2018 का बैंक ऑफ बडौदा शाखा सरवाड को भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा सरवाड जिला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया तो भारतीय स्टेट बैंक शाखा सरवाड जिला अजमेर ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा सरवाड का चैक रिटर्न मीमो दिनांकित 04.08.2018 का संलग्न कर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिये गये उक्त चैक को डिसऑनर कर लौटा दिया गया है। जिसकी सूचना परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा सरवाड जिला अजमेर के माध्यम से दिनांक 04.08.2018 को प्राप्त हुई है। उक्त चैक के अनादरित होने पर परिवादी ने अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के मार्फत एक पंजीकृत सूचना पत्र अभियुक्त के अंतिम ज्ञात पते पर दिनांक 01.09.2018 को प्रेषित किया। उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया, जिसके पश्चात् भी अभियुक्त ने विहित अवधि 15 दिवस के भीतर किश्त राशि का आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 के तहत दण्डनीय अपराध है। अंत में अभियुक्त को दण्डित किया जाकर अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा से दंडित किया जावे एवं चैक से दुगुनी राशि परिवादी कंपनी को दिलाए जाने का निवेदन किया।

2. न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2019 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर उसे तलब किया गया तथा प्रकरण रैगुलर फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया जा सका जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाहीं।

4. साक्ष्य परिवादी हेतु परिवादी को न्यायालय में कई अवसर दिये जाने के

उपरान्त भी परिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य परिवादी में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर दिनांक 27.04.2026 के आदेश द्वारा परिवादी का साक्ष्य परिवादी पेश करने का अवसर बंद किया गया। परिवादी की ओर से प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित होकर कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से अभियुक्त को बयान मुल्जिम से अभिमुक्ति प्रदान की गई।

5. बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

(1) क्या अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे परिवादी को एक चैक संख्या— 000029 तादादी 226000/— रूपये, दिनांक 03.08.2018 अपने बैंक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सरवाड का दिया, जो चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु पेश करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा "फण्ड्स इनसफिसिएंट" के कारण के साथ अनादरित कर लौटा दिया गया, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा उसे जरिये अधिवक्ता नोटिस दिया गया। नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अभियुक्त के द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया? (अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट)

(2) यदि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित होता है तो उसके लिए उचित दण्ड क्या होगा?

6. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में परिवादी की ओर से साक्ष्य परिवादी में परिवाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य हेतु लगातार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी परिवादी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न ही दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी के द्वारा साक्ष्य हेतु अनुपस्थित रहने के कारण अभियुक्त को उससे जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में परिवादी साक्ष्य के अभाव में परिवादी साक्ष्य संबंधी अपना प्राथमिक दायित्व ही पूर्ण करने में असफल रहा है। इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य के अभाव में परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तथा परिवाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में परिवादी की साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक विधिक अदायगी पेटे अपने हस्ताक्षरशुदा जारी करना, चैक अनादरित होना, अभियुक्त को नोटिस प्रेषित करना व अभियुक्त द्वारा चैक राशि का भुगतान नहीं करना संदेह से परे प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। इस संबंध में विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिवादी को अपना मामला स्वयं अपनी साक्ष्य से संदेह से परे साबित करना होता है। जिस संबंध में परिवादी पक्ष की ओर से प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी साक्ष्य में उपस्थित होकर

अपना मामला संदेह से परे साबित नहीं करने से परिवादी की साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

7. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं है कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे परिवादी को एक चैक संख्या—000029 तादादी 226000/—रूपये, दिनांक 03.08.2018 अपने बैंक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सरवाड का दिया, जो चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु पेश करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा ''फण्ड्स इनसफिसिएंट'' के कारण के साथ अनादरित कर लौटा दिया गया, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा उसे जरिये अधिवक्ता नोटिस दिया गया। नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अभियुक्त के द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

: : <u>आ दे श</u> : :

8. अतः अभियुक्त प्रधान गुर्जर पुत्र किशनलाल उर्फ लाला निवासी गोरधनपुरा तहसील व थाना सरवाड जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय मे नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कार्तिक शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड जिला अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कार्तिक शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड जिला अजमेर